वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2013-14

राजस्थान स्टेट
पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2013-14

राजस्थान स्टेट
पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

1, बजाज नगर एनक्लेव, गाँधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर (राजस्थान) 302 015

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ संख्या
कॉरपोरेशन : एक परिचय	
● प्रस्तावना	1
● गठन	2
● उद्देश्य	2
● रूपरेखा	3
● प्रस्तावित संसाधन	4
● निदेशक मण्डल	5
वित्तीय परिदृश्य	
● बजट आवंटन	6
उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ	
● परिसम्पत्ति विवरण	7
● क्रेडिट रेटिंग	8
● प्रगति – बॉण्ड्स – विद्युत वितरण निगमों को ऋण	9
● पदों का सृजन	10
● सेवा एवं भर्ती नियम	11
● प्रचार–प्रसार	11
दूरभाष निर्देशिका	12
कॉरपोरेशन पंजीकरण प्रमाण–पत्र	13
गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था पंजीकरण प्रमाण–पत्र	14

प्रस्तावना

राजकीय विद्युत कम्पनियों को अपने कार्यकलापों के प्रभावी संचालन के लिए वित्तीय कम्पनियों, जैसे PFC, REC, SIDBI, LIC, एवं HUDCO से तथा विभिन्न वाणिज्यिक बैंको से ऋण लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए विश्व बैंक से भी सहायता ली जा रही है।

राजकीय विद्युत कम्पनियों, विशेष रूप से वितरण कम्पनियों को वित्तीय संसाधन अर्जित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों, जिनमें राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्रफल, काश्तकारों की भूमिगत जल पर अत्यधिक निर्भरता, वर्षा की कमी तथा सतही जल की कमी आदि शामिल है, के कारण कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अधिक दरों से विद्युत की खरीद कर कृषि क्षेत्र में आपूर्ति करने के परिणामस्वरूप इन कम्पनियों पर अधिक वित्तीय भार पड़ रहा है, जिससे इनकी वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है।

इसके अतिरिक्त अगस्त 2011 के पश्चात् बैंकों द्वारा राजकीय विद्युत वितरण कम्पनियों को ऋण स्वीकृत करना बंद करने के कारण इन कम्पनियों के सम्मुख गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। इन कम्पनियों के भारी वित्तीय घाटे को दृष्टिगत रखते हुए इस संकट से निपटने एवं भविष्य में इनके प्रभावी संचालन के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा राजस्थान पॉवर सेक्टर के लिए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान (Rajasthan Power Sector Financial Restructuring Plan) तैयार किया गया है।

इन कम्पनियों में बकाया अल्पकालीन ऋणों के सम्बन्ध में सचिव, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर भी विचार विमर्श हुआ। राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों में बकाया अल्पकालीन ऋणों की पुनर्संरचना का रोडमैप तैयार कर वित्त मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार द्वारा Power Finance Corporation(PFC) का गठन कर, इसके माध्यम से विद्युत कम्पनियों को ऋण उपलब्ध करवाया जावेगा, जिससे इन कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

इस क्रम में राजस्थान स्टेट पॉवर फाईनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance Corporation Limited) के रूप में, एक गैर–बैंकिग वित्तीय कम्पनी (Non-Banking Financial Company) बनाने का निर्णय लिया गया। यह कॉरपोरेशन सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त कर इन विद्युत कम्पनियों को ऋण उपलब्ध करवायेगी।

गठन

राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के द्वारा राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लि. जयपुर के क्रियान्वन हेतु प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। तदुपरांत, कॉरपोरेशन का पंजीयन दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (Public Limited Company) के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हुआ।

कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 झ क के प्रावधान के तहत् गैर-बैकिंग वित्तीय संस्था (Non-Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करने का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) दिनांक 24.07.2013 को जारी किया गया।

उद्देश्य

- राजकीय विद्युत उत्पादन, प्रसारण अथवा वितरण कम्पनियों को केबल्स, ट्रांसफॉरमर्स, कन्डक्टर्स, उपकरण, मशीनरी, भवन, वाहन, भूमि, बिजली इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- राज्य में स्थापित राजकीय विद्युत कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बॉण्ड्स हेतु प्रत्याभूति देना।
- उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋणों, बॉण्डस्, शेयर्स अथवा पूँजी निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- संसाधन विकसित करने की दृष्टि से स्वयं अथवा अन्य किसी कम्पनी के साथ परिसम्पत्ति विकास एवं प्रबंधन (Property Development and Management) का कार्य करना।
- विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई गतिविधियों जैसे कोयला एवं अन्य खनन इत्यादि, जिसका उपयोग राजकीय परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है, हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
- राजकीय विद्युत कम्पनियों हेतु आवश्यक अध्ययन सम्पादित करवाना एवं परामर्शीय सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण/संरक्षण की परियोजनाओं की राजकीय विद्युत कम्पनियों द्वारा स्थापना, संचालन एवं रख रखाव हेतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों की साझेदारी में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराना।

रूपरेखा

- राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक पूर्णतया गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (Non Banking Financial Company) है, जिसकी अधिकृत पूँजी रु. 250 करोड़ है एवं निर्गमित (issued) व अभिदत्त (subscribed) पूँजी रू. 90 करोड़ है।
- राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार है।
- प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, कम्पनी के पदेन अध्यक्ष हैं एवं विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, कम्पनी के पदेन प्रबन्ध निदेशक हैं।
- राज्य सरकार कम्पनी को गारण्टी एवं नियमित संसाधनों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- राज्य सरकार कॉरपोरेशन को नि:शुल्क भूमि/स्थाई सम्पत्ति प्रदान करेगी, जिसका लाभ कॉरपोरेशन द्वारा लिया जा सकेगा।

प्रस्तावित संसाधन

इस कम्पनी के संस्थापन व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा ताकि उसके द्वारा लिये गये ऋण को ब्याज दर में बिना अधिक वृद्धि के विद्युत निगमों को उपलब्ध कराया जा सके। कम्पनी को कार्यशील पूँजी हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा प्रथम पाँच वर्ष तक कम्पनी का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा।

यह कम्पनी किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्थाओं, अन्य कम्पनी आदि से ब्याज पर या अन्यथा ऋण प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगी। यह कम्पनी ऐसी स्थाई अथवा अस्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद फरोख्त कर सकेगी, जो इसके हित में हो। कम्पनी द्वारा शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेन्चर्स, बॉण्ड्स एवं अन्य पराक्रम्य विलेखों (negotiable instruments) में भी निवेश किया जा सकेगा।

कम्पनी को नियमित आय के स्रोत के लिये राज्य सरकार द्वारा कतिपय करों/उपकरों से प्राप्त होने वाली आय का एक हिस्सा कम्पनी को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जावेगा। इसके अतिरिक्त कतिपय वस्तुओं पर उपकर एवं खनिजों पर भूमिकर लगाकर उसकी राशि भी कम्पनी की नियमित आय के रूप में उपलब्ध करवायी जावेगी।

कम्पनी द्वारा विद्युत क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना, संचालन तथा रखरखाव हेतु संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ-साथ विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन के अधिकार भी इस कम्पनी को दिए जाएंगे।

निदेशक मण्डल

इस कम्पनी के संचालन हेतु निदेशक मण्डल का गठन किया गया है। कम्पनी के निदेशक मण्डल में प्रमुख शासन सचिव (वित्त), अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल में तीनों वितरण विद्युत कम्पनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, वित्त सचिव (राजस्व), सचिव ऊर्जा, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) तथा वित्त सचिव (बजट), प्रबन्ध निदेशक सम्मिलित हैं। वर्तमान में निदेशक मण्डल इस प्रकार है :

- श्री सुभाष चन्द्र गर्ग, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, अध्यक्ष
- श्री संजय मल्होत्रा, आयुक्त वाणिज्य, कर विभाग, निदेशक
- श्री आलोक, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, निदेशक
- श्री प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, निदेशक
- श्री सुरेश चन्द्र दिनकर, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, निदेशक
- श्री सिद्धार्थ महाजन, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, प्रबन्ध निदेशक
- श्री लक्ष्मी नारायण सोनी, महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर, निदेशक
- श्री आर. जी. गुप्ता, अध्यक्ष, विद्युत वितरण कंपनियाँ, राजस्थान, निदेशक

बजट 2013-14

(रु. करोड़ में)

प्राप्तियाँ		बजट प्रावधान	प्राप्तियाँ (31.03.2014)
I	राजस्व		
1.	ब्याज से प्राप्तियाँ	84.38	00.0000
2.	निवेश से प्राप्त ब्याज	1.20	5.3400
3.	अनुदान	3.50	00.0000
	योग	**89.08**	**5.3400**
II	पूँजी		
1.	राजकीय अंश	110.00	75.0000
2.	बॉण्ड उत्थापन	1500.00	00.0000
	योग	**1610.00**	**75.0000**
	कुल योग	**1699.08**	**80.3400**

व्यय		बजट प्रावधान	व्यय (31.03.2014 तक)
I	राजस्व		
1.	प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय	2.62	1.0333
2.	वित्त व्यय बॉण्ड उत्थापन व्यय सहित	81.25	0.0931
3.	बॉण्ड प्रक्रिया पर अन्य व्यय	2.25	0.0000
4.	अनुसंधान एवं विकास व्यय	4.41	4.4100
	योग	**90.53**	**5.5364**
II	पूँजी		
1.	भूमि बैंक	100.00	**NIL**
2.	फर्नीचर	0.30	0.0396
3.	कार्यालय उपकरण	0.25	0.0508
4.	ऋण बिजली कम्पनियों को	1500.00	1.5000
	योग	**1600.55**	**1.5904**
	कुल योग	**1691.08**	**7.1268**

परिसम्पत्ति विवरण

राज्य मंत्रिमण्डल के ज्ञापन क्र.प.5(7)/वि.मा./2001(पार्ट।।)जयपुर,दिनांक 07.09.2012 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कम्पनी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी है। इस क्रम में जब भी राज्य सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा किसी स्थानीय निकाय या उपक्रम को जमीन आवंटित की जावेगी तब आवंटित भूमि की 10 प्रतिशत भूमि राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लि. को आवंटित की जावेगी।

विश्वविद्यालय या घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम, जिनके पास अधिशेष परिसम्पत्ति है, उनका मूल्यांकन करवा करके वित्त विभाग उनकी पुनर्संरचना हेतु पुनरुत्थान संपुष्टि (Revival Package) मंजूर करेगा तथा उस परिसम्पत्ति को राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लि. को आवंटित किया जावेगा।

इसी प्रकार नजूल सम्पत्तियों का स्थानान्तरण भी जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लि. को किया जावेगा।

इस क्रम में पूर्व शासन द्वारा निम्नांकित परिसम्पत्तियों को राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लि. जयपुर को नि:शुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया:-

क्रमांक	भूमि	क्षेत्रफल (बीघा में)	डी.एल.सी. के अनुसार कीमत (रु. लाख में)
1.	टोंक बस स्टैण्ड के पीछे स्थित भूमि	3-08	731.68
2.	पर्यटन बंगला नागौर, जिला नागौर	5-00	1115.13
3.	पर्यटन स्वागत केन्द्र, फलौदी जिला जोधपुर	5-00	845.06
4.	पर्यटन स्वागत केन्द्र, बाप, जिला जोधपुर	5-00	12.42
5.	मोटल सीकर, ग्राम रामूकाबास, तहसील सीकर, जिला सीकर	2-00	2874.67
	योग	**20-08**	**5578.96**

निदेशक मण्डल की चतुर्थ बैठक में इन प्रस्तावों के अनुसार राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन को नि:शुल्क भूमि/सम्पत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा राज्य के निगमों/कम्पनियों/विश्वविद्यालयों की अप्रयुक्त/ अतिरिक्त भूमि/ सम्पत्तियों को राज्य सरकार के माध्यम से राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन को नि:शुल्क हस्तांतरित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु किसी भी निगम/कम्पनी की भूमि अथवा सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

यह भी निर्णय लिया गया है कि कंपनी के कार्यों की समीक्षा कर समान प्रकृति की अन्य कंपनियों को इसमें सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए।

क्रेडिट रेटिंग

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSPFCL) के तहत् राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति से जारी होने वाले प्रस्तावित बॉण्ड्स/उधार विपत्रों को ''समेरा'' द्वारा स्थाई आउटलुक रेटिंग ''ए (एस ओ)'' प्रदान की गई, जिसका तात्पर्य यह है कि कम्पनी द्वारा जारी विपत्रों की वित्तीय बाध्यता उच्चस्तरीय, सुरक्षित एवं समयबद्ध होती है। ऐसे विपत्रों की ऋण जोखिम भी बहुत कम है।

प्रगति

(अ) बॉण्ड्स

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) रुपये 250 करोड़ एवं प्रदत्त पूँजी (paid-up capital) रुपये 90 करोड़ है। वर्ष 2013–14 में बॉण्ड उत्थापन लक्ष्य रुपये 1500 करोड़ रखा गया। इस हेतु प्रथम चरण में रुपये 400 करोड़ एवं रुपये 200 करोड़ ग्रीनशू अतिरिक्त अर्थात् कुल राशि रुपये 600 करोड़ के बॉन्ड्स प्रस्तावित किए गए। **किन्तु, न्यूनतम निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दर को विद्यमान बाजार दशाओं के सन्दर्भ में उच्च मानते हुए पूरी निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी गई।**

(ब) विद्युत वितरण निगमों को ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में कार्यकलाप के लिये जारी अनुज्ञापत्र की एक शर्त के अनुसार कम्पनी को अनुज्ञापत्र को जारी होने की तिथि से 6 माह में अपने कार्यकलाप प्रारम्भ किये जाना आवश्यक है। इस शर्त की पालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य की तीनों विद्युत वितरण निगमों को, प्रति निगम रुपए 0.50 करोड़ का ऋण दिये जाना प्रस्तावित किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 28 मार्च, 2014 को तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को उक्त राशि ऋण के रूप में संवितरित की गई।

पदों का सृजन/कार्यरत कार्मिक

कॉरपोरेशन के कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार के वित्त (व्यय) विभाग के अनुमोदन से 65 पदों का सृजन किया है। इन स्वीकृत पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

- 57 पद प्रतिनियुक्ति के
- 07 पद विशेष चयन के
- 01 पद सीधी भर्ती का

इसके उपरान्त भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए कम्पनी के अध्यक्ष की सहमति से प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया है।

1. प्रतिनियुक्ति के 57 पदों के विरुद्ध निम्नांकित पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं:-

   (1) कार्यकारी निदेशक

   (2) महाप्रबन्धक (क्रेडिट) - अतिरिक्त कार्यभार

   (3) महाप्रबंधक (वित्त) - अतिरिक्त कार्यभार

   (4) महाप्रबन्धक (सिस्टम्स) - अतिरिक्त कार्यभार

   (5) विशेषाधिकारी (भूमि) - 25.02.2013 से 25.02.2014 तक कार्यरत

   (6) विशेषाधिकारी (डाक्यूमेन्टेशन)

   (7) उप प्रबंधक (लेखाकार)

   (8) सहायक प्रबन्धक (कनिष्ठ अभियन्ता)

   (9) सहायक प्रबन्धक (कनिष्ठ लेखाकार)

2. विशेष चयन से भर्ती के लिये सृजित पदों में से अभी किसी पद पर भर्ती नहीं की गई है।

3. सीधी भर्ती के लिये सृजित एक मात्र पद पर श्रीमती प्रेरणा गुप्ता को कम्पनी सचिव के पद पर प्रोबेशनर के रूप में भर्ती की गई है।

4. उक्त के अतिरिक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को मासिक पारिश्रमिक पर निम्नानुसार रखा गया है:-

   1. मुख्य सलाहकार (बैंकिंग)
   2. मुख्य सलाहकार (प्रशासन)
   3. मुख्य सलाहकार (विधि)
   4. सलाहकार (प्रशासन)

सेवा एवं भर्ती नियम

वर्तमान में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती, विशेष चयन एवं प्रतिनियुक्ति पुन: नियुक्ति के माध्यम से पदों को भरने, इन पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करने, उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते आदि स्वीकृत करने, स्टोर के क्रय एवं संधारण, कार्यालय की प्रक्रिया एवं पद्धति आदि के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम लागू हैं।

कम्पनी ने आगे के लिये अपने नियम बनाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है तथा इस क्रम में नीचे अंकित नियम बनाये जा चुके है:

1. सेवा नियम
2. सीधी भर्ती नियम
3. विशेष चयन नियम
4. यात्रा भत्ता नियम

इन नियमों की प्रतियों को प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन के उपरान्त वित्त (नियम) विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित कर दी गई है।

प्रचार-प्रसार

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लि. जयपुर, राजस्थान सरकार के उपक्रम के रूप में स्थापित की गई है एवं कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बजाज नगर, जयपुर में स्थित है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कम्पनी के प्रचार-प्रसार के लिये ब्रोशर छपवाए गए हैं, जिसमें कम्पनी की संक्षिप्त रूपरेखा, गठन एवं उद्देश्यों का ब्यौरा दिया गया है।

इसी क्रम में कम्पनी की वेबसाइट "rspfcl.rajasthan.gov.in" स्थापित की गई है। वेबसाइट पर उपक्रम के विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी, उपक्रम द्वारा जारी की जाने वाली निविदा, भर्ती सम्बन्धी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। वेबसाइट पर समय-समय पर नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

दूरभाष निर्देशिका

नाम	पद	सम्पर्क नम्बर
श्री सुभाष चन्द्र गर्ग, आईएएस	अध्यक्ष	0141-2227664
श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएएस	प्रबंध निदेशक	0141-2227934
श्रीमती नेहा गिरी, आईएएस	कार्यकारी निदेशक	0141-2708611
डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा	महाप्रबन्धक (क्रेडिट)	0141-2744805
श्री सुरेश गुप्ता	महाप्रबन्धक (वित्त)	0141-2227468
श्री अकुल भार्गव	महाप्रबन्धक (सिस्टम्स)	0141-2227094
डॉ. अंजलि माथुर	विशेषाधिकारी (डॉक्यूमेंटेशन)	0141-2708611
श्रीमती प्रेरणा गुप्ता	कम्पनी सचिव (प्रोबेशनर)	0141-2708611

कॉरपोरेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र

प्रारुप 1
पंजीकरण प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U65923RJ2012SGC041087 2012 - 2013

मै एतदद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैसर्स

RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED

का पंजीकरण, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत आज किया जाता है और यह कम्पनी लिमिटेड है।

यह निगमन-पत्र आज दिनांक इक्कीस दिसम्बर दो हजार बारह को जयपुर मे जारी किया जाता है।

Form 1
Certificate of Incorporation

Corporate Identity Number : U65923RJ2012SGC041087 2012 - 2013

I hereby certify that RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the company is limited.

Given at Jaipur this Twenty First day of December Two Thousand Twelve.

Registrar of Companies, Rajasthan
कम्पनी रजिस्ट्रार, राजस्थान

*Note: The corresponding form has been approved by RAMESH KUMAR MEENA, Registrar of Companies and this certificate has been digitally signed by the Registrar through a system generated digital signature under rule 5(2) of the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006.
The digitally signed certificate can be verified at the Ministry website (www.mca.gov.in).

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता
Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:
RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED
VITTA BHAWAN, JANPATH,
JAIPUR - 302005,
Rajasthan, INDIA

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था पंजीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

JAIPUR REGIONAL OFFICE

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या No. B.10.00226 'NBFC-ND-NEW'

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन जुलाई दो हजार तेरह की चौबीस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at JAIPUR
ON this TWENTY FOURTH day of JULY Two Thousand THIRTEEN

(~~महा प्रबंधक~~ / उप महा प्रबंधक)

~~General Manager~~ / Deputy General Manager

पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय:

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

1, बजाज नगर एनक्लेव, गाँधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर (राजस्थान) 302 015

दूरभाष: 91-141-2708611, ईमेल : rspfcl@rajasthan.gov.in

वेबसाइट : rspfcl.rajasthan.gov.in